रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 16, 1975/पौष 26, 1896
No. 22] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 16, 1975/PAUSA 26, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 16th January 1975

S.O. 31(E).—Whereas in the opinion of the Central Government, it is necessary and expedient so to do for maintaining supplies and services essential to the life of the community;

And, whereas any srike in the ports and docks at Bombay, Cochin, Kandla, Madras, Mormugao, Paradip and Visakhapatnam would prejudicially affect the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, it is necessary and expedient to prevent strikes in the said ports and docks;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 118 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby prohibits, with immediate effect, any strike in connection with any industrial dispute in the ports and docks at Bombay, Cochin, Kandla, Madras, Mormugao, Paradip and Visakhapatnam for a period of six months.

[No. F. S-42025/1/75-DK(IA)]

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली 16 जनवरी, 1975

का० आ० 31(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार की राय में समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाये रखने के लिये ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ;

और यतः बम्बई, कोचीन, काण्डला, मद्रास, मोर्मुगाओं, परादीप और विशाखापत्तनम में पत्तनों और गोदियों में कोई हड़ताल समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने के लिये प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इसलिये उक्त पत्तनों और गोदियों में हड़ताल रोकना आवश्यक और समीचीन है ।

अतः, अब भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा बम्बई, कोचीन, काण्डला, मद्रास, मोर्मुगाओ, पारादीप और विशाखापत्तनम में पत्तनों तथा गोदियों में किसी औद्योगिक विवाद से सम्बन्धित हड़ताल को छः मास की अवधि के लिये तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध करती है ।

[सं० फा० एस-42025/1/75-डी० के० (1 ए)]

S.O. 32(E).—Whereas the Central Government is of opinion that employment in ports and docks at Bombay, Cochin, Kandla, Madras, Mormugao, Paradip and Visakhapatnam (hereinafter referred to as the said employment) is essential for maintaining supplies and services essential to the life of the community;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 119 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby declares the said employment to be an employment to which rule 119 of the said rules applies.

[No. F. S-42025/1/75-DK(IA)/II]

D. BANDYOPADHYAY, Jt. Secy.

का० आ० 32 (अ).—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि बम्बई, कोचीन, काण्डला, मद्रास, मोर्मुगाओ, पारादीप और विशाखापत्तनम में पत्तनों और गोदियों में नियोजन (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियोजन कहा गया है), समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवायें बनाये रखने के लिए आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 199 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियोजन को ऐसे नियोजन के रूप में घोषित करती है, जिसे उक्त नियमों का नियम 119 लागू होता है ।

[सं० फा० एस-० 42025/1/75-डी० के० (1 ए) 2]

डी० बंद्योपाध्याय, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975